

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/ईएमआरएस जमवारामगढ/17-18

33547

दिनांक 29.8.19

मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.)  
जयपुर।

विषय : एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल माथासूला (जमवारामगढ) की भूमि वन विभाग के वृक्षारोपण के तहत होने के कारण अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु अतिरिक्त क्षतिपूर्ति राशि रु. 4.83 लाख वन विभाग को भुगतान की अनुमति बाबत।

प्रसंग : अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड बस्सी जयपुर का पत्रांक 1102 दि.13.08.2019 एवं उप वन संरक्षक जयपुर उत्तर के पत्रांक एफ-( )/सर्वे/उवसंजउ/2018-19/762 दिनांक 13.08.2019।

महोदय,

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल माथासूला (जमवारामगढ) हेतु वर्तमान आवंटित भूमि को वर्ष 2014-15 में वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु दी गई थी जिस पर कालान्तर में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया गया था।

विभागीय पत्रांक 3267-76 दि. 22.01.2019 द्वारा वन विभाग की अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु क्षतिपूर्ति राशि 20.31 लाख वन विभाग को भुगतान किये जाने की (ईएमआरएस जमवारामगढ हेतु प्रथम किश्त राशि रु. 600.00 लाख में से वहन करने की) अनुमति दी गई थी।

प्रासंगिक पत्र द्वारा गैरवानीकी की गतिविधियों में काम में लिये जाने वाली कुल 6.1875 हेक्टेयर वन भूमि पर वृक्षारोपण/वन सम्पदा संधारण पर वन विभाग द्वारा किया गया खर्चा राशि रु. 4.83 लाख चढ़ाया गया है। अतः पूर्व में जमा कराई गई राशि रु. 20.31 लाख के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति राशि रु. 4.83 लाख वन विभाग को जमा करवाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अतिरिक्त क्षतिपूर्ति की राशि रु. 4.83 लाख का वहन एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल माथासूला (जमवारामगढ) प्रोजेक्ट हेतु प्रथम किश्त राशि रु. 600.00 लाख उपलब्ध कराई गई राशि में से होगा।

भवदीय

(विकास सीतारामजी भाले )I.A.S

आयुक्त

क्रमांक यथोपरि/ 33547-60  
प्रतिलिपि

दिनांक : 29.8.19

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. अतिरिक्त आयुक्त (तृतीय) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जिला परिषद जयपुर।
3. मुख्य अभियंता (भवन) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
4. उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर) पुराना कोल डिपो, झोटवाडा रोड पानी पेच, जयपुर 302016।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, संभाग-II जयपुर/उदयपुर।
6. अधीक्षण सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त ग्रामीण जयपुर।
7. अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड बस्सी जयपुर।
8. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन परियोजना अधिकारी माडा जिला परिषद जयपुर।
9. प्रभारी अधिकारी मोनिटरिंग/वित्तीय सलाहकार/माडा/कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
10. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)